संख्या- 2383/बयालिस-2021-249(विविध)/2017

प्रेषक,

कल्पना अवस्थी,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- समस्त अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

2- समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश ।

3- समस्त मण्डलायुक्त / जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

खेल अनुभाग लखनऊ : दिनांक: 30 दिसम्बर, 2021

श्री अजित चौधरी

विषय एकलव्य क्रीड़ा कोष (खेल एवं खिलाड़ियों का प्रोत्साहन तथा संवर्द्धन) नियमावली 2021 को लागू किये जाने के सम्बन्ध में।

31/12/21

महोदय/महोदया,

कृपया अवगत कराना है कि वर्ष 1975 में गठित उ0 प्र0 स्पोर्टसमैन वेलफेयर ट्रस्ट का उद्देश्य खेल एवं खिलाड़ियों का हित एवं विकास है परन्तु उत्तर प्रदेश स्पोर्टसमैन वेलफेयर ट्रस्ट का नियमित रजिस्ट्रेशन न होने के कारण तथा स्पष्ट नियमावली की व्यवस्था न होने के दृष्टिगत उक्त ट्रस्ट संस्थागत रूप में स्थापित न हो सका. इसके कारण क्रियान्वयन तथा अनुश्रवण नहीं हुआ व उद्देश्यों की पूर्ति नहीं हुई। उक्त ट्रस्ट का खाता ओरियन्टल बैंक आफ कामर्स, लखनऊ में संचालित है। एकलव्य क्रीड़ा कोष के क्रियान्वयन हेतु बजटीय व्यवस्था 2017 से लगातार की जा रही है परन्तु कोई नियमावली न होने तथा खाता संचालित न होने के दृष्टिगत एकलव्य क्रीड़ा कोष हेतु विगत वर्षो में प्राविधानित की जा रही धनराशि का सदुपयोग नहीं हो पा रहा है। अतः खेलहित में उत्तर प्रदेश स्पोर्टसमैन वेलफेयर ट्रस्ट का विलय एकलव्य क्रीड़ा कोष में किया गया है, जिसका कार्यक्षेत्र समस्त उत्तर प्रदेश रहेगा।

2- वर्ष 1975 में स्थापित उत्तर प्रदेश स्पोर्टसमैन वेलफेयर ट्रस्ट को अवक्रमित करते हुए " एकलव्य क्रीड़ा कोष (खेल एवं खिलाड़ियों का प्रोत्साहन तथा संवर्द्धन) नियमावली-2021"

प्रख्यापित किया गया है, जिसके निम्न उद्देश्य एवं लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं :-

(1) खिलाडियों को खेल में उच्च स्तरीय प्रदर्शन एवं संवर्धन हेतु उन विशेष क्षेत्रों हेतु फेलोशिप प्रदान करना, जिसकी पूर्ति वर्तमान में संचालित योजनाओं एवं खिलाड़ी के अभिभावकों द्वारा नहीं हो पा रही है अथवा सीमित है।

(2) ओलम्पिक गेम्स, कामनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स, वर्ल्ड चैम्पियन/वर्ल्डकप, एफ्रो एशियन गेम्स, सैफ गेम्स व राष्ट्रीय चैम्पियनशिप में प्रदेश में पदक विजेता खिलाड़ी तैयार करना।

(3) खिलाडियों एवं प्रशिक्षकों को अत्याधुनिक अन्तराष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षण की व्यवस्था एवं प्रशिक्षण की विशेषज्ञता प्रदान करने हेतु।

(4) खिलाडियों का सवास्थ्य बीमा कराना ।

(5) खेल क्लबों/अकादमियों को प्रत्यक्ष/परोक्ष रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करना।

(6) खेल से सम्बन्धित अनुसन्धान परियोजनाओं को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना।

(7) दिव्यागजन/ट्रान्सजेण्डर/महिला खिलाडियों के अतिरिक्त प्रोत्साहन पर व्यय।

(8) खेल गतिविधियों को बढावा देने एवं खिलाडियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से खेल प्रतिभाओं की खोज करने हेतु संघों/ खेल क्लबों/खेल लीग के आयोजन हेतु उ0 प्र0 के जनपदों में भ्रमण-प्रसार की व्यवस्था।

(9) खिलाडियों को खेल उपकरण/सामग्री उपलब्ध कराना।

इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि संलग्न एकलव्य क्रीड़ा कोष (खेल एवं खिलाडियों का प्रोत्साहन तथा संवर्द्धन) नियमावली-2021" में उल्लिखित प्राविधानित व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

<u>संलग्नक- यथोक्त</u>

भवदीया,

(कल्पना अवस्थी)
प्रमुख सचिव ।

<u>संख्या-2383(1)/बयालिस-2021-तद्‌दिनांक-</u>

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1- अपर मुख्य सचिव,श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश ।

2- अपर मुख्य सचिव,मा0 मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश।

3- स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0 प्र0 शासन।

4- समस्त अध्यक्ष एवं सदस्य, " एकलव्य क्रीड़ा कोष (खेल एवं खिलाडियों का प्रोत्साहन तथा सवर्द्धन) नियमावली, 2021" ।

5- निदेशक, मुद्रण एव लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश लखनऊ।

आज्ञा से,

(विनीत प्रकाश)
संयुक्त सचिव।

भारत का संविधान के अनुच्छेद-162 के अन्तर्गत कार्यकारी शक्ति का प्रयोग करते हुए श्री राज्यपाल निम्न नियमावली बनाते हैं :

" एकलव्य क्रीड़ा कोष (खेल एवं खिलाड़ियों का प्रोत्साहन तथा संवर्द्धन) नियमावली-2021"

नाम — एकलव्य क्रीड़ा कोष (खेल एवं खिलाड़ियों का प्रोत्साहन तथा संवर्द्धन) नियमावली-2021 " कही जायेगी ।

कार्यक्षेत्र — कार्यक्षेत्र समस्त उत्तर प्रदेश रहेगा।

परिभाषाएँ : — 3-परिभाषाएँ :-

इस नियमावली में जब तक प्रसंग में अन्यथा अपेक्षित न हो

(क) "अध्यक्ष " का तात्पर्य एकलव्य क्रीड़ा कोष के अध्यक्ष से है ,

(ख) "एकलव्य क्रीड़ा कोष " का तात्पर्य " इस नियमावली के नियम-5 के अधीन गठित कोष से है ;

(ग) " राज्य सरकार " का तात्पर्य उत्तर प्रदेश सरकार से है ;

(घ) " निदेशालय " का तात्पर्य खेल निदेशालय, उत्तर प्रदेश से है ,

(ङ) " प्रबन्ध समिति " का तात्पर्य नियम-6 के अन्तर्गत गठित प्रबन्ध समिति से है ,

(च) " उ0 प्र0 खेल विकास व प्रोत्साहन समिति " का तात्पर्य उत्तर प्रदेश खेल विकास एवं प्रोत्साहन नियमावली 2020 के अन्तर्गत गठित समिति से है।

एकलव्य क्रीड़ा कोष का उद्देश्य एवं लक्ष्य — 4- एकलव्य क्रीड़ा कोष का उद्देश्य एवं लक्ष्य :-

(1) खिलाड़ियों को खेल में उच्च स्तरीय प्रदर्शन एवं संवर्धन हेतु उन विशेष क्षेत्रों हेतु फैलोशिप प्रदान करना, जिसकी पूर्ति वर्तमान में संचालित योजनाओं एवं खिलाड़ी के अभिभावक द्वारा नहीं हो पा रही है अथवा सीमित है।

(2) ओलम्पिक गेम्स, कामनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स, वर्ल्ड चैम्पियन/वर्ल्डकप, एफ्रो एशियन गेम्स, सैफ गेम्स व राष्ट्रीय चैम्पियनशिप में प्रदेश में पदक विजेता खिलाड़ी तैयार करना।

(3) खिलाड़ियों एवं प्रशिक्षकों को अत्याधुनिक अन्तराष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षण की व्यवस्था एवं प्रशिक्षण की विशेषज्ञता प्रदान करने हेतु।

(4) खिलाड़ियों का स्वास्थ्य बीमा कराना ।

(5) खेल क्लबों/अकादमियों को प्रत्यक्ष/परोक्ष रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करना।

(6) खेल से सम्बन्धित अनुसन्धान परियोजनाओं को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना।

(7) दिव्यांगजन/ट्रान्सजेण्डर/महिला खिलाड़ियों के अतिरिक्त प्रोत्साहन पर व्यय।

(8) खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने एवं खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से खेल प्रतिभाओं की खोज करने हेतु संघों/ खेल क्लबों/खेल लीग के आयोजन हेतु उ0 प्र0 के जनपदों में भ्रमण-प्रसार की व्यवस्था।

(9) खिलाड़ियों को खेल उपकरण/सामग्री उपलब्ध कराना।

एकलव्य क्रीड़ा कोष की संरचना

5- एकलव्य क्रीड़ा कोष की संरचना :

एकलव्य क्रीड़ा कोष का गठन निम्नवत् होगा :-

1- विभाग का अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव- अध्यक्ष
2- निदेशक, खेल, उत्तर प्रदेश- सचिव
3- वित्त एवं लेखाधिकारी, खेल निदेशालय, उत्तर प्रदेश- कोषाध्यक्ष
4- राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय क्लब के अध्यक्ष- सदस्य

वित्तीय संचालन हेतु प्रबन्ध समिति

6-वित्तीय संचालन हेतु प्रबन्ध समिति निम्नवत् होगी :-

एकलव्य क्रीड़ा कोष का वित्तीय संचालन हेतु प्रबन्ध समिति का गठन निम्नवत होगा :

1- निदेशक,खेल, उत्तर प्रदेश लखनऊ- अध्यक्ष
2- वित्त एवं लेखाधिकारी, खेल निदेशालय, उ0प्र0- कोषाध्यक्ष/सचिव
3- क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी, लखनऊ- सदस्य
4- सचिव, प्रबन्ध समिति, उत्तर प्रदेश स्पोर्टस कालेजेज सोसाइटी- सदस्य
5- महासचिव, उत्तर प्रदेश ओलम्पिक एसोसिएशन- सदस्य
6- राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय खेलों में विजेता खिलाडी- (02) सदस्य

वित्तीय प्रबन्धन

7- वित्तीय प्रबन्धन :-

(1) एकलव्य क्रीड़ा कोष के बैंक खाते में उत्तर प्रदेश स्पोर्टसमैन वेलफेयर ट्रस्ट में जो धनराशि ब्याज सहित ओरियन्टल बैंक आफ कॉमर्स, हजरतगंज लखनऊ (वर्तमान नाम पंजाब नेशनल बैंक) में जमा है, उस धनराशि को एकलव्य क्रीड़ा कोष के बैंक खाते में जमा करायी जायेगी तथा एकलव्य क्रीड़ा कोष हेतु सरकार द्वारा अनुदानित धनराशि से खिलाड़ियों के कल्याणार्थ व्यय की जायेगी। उक्त खाते का संचालन निदेशक, खेल एवं वित्त एवं लेखाधिकारी, उत्तर प्रदेश द्वारा किया जायेगा।

(2) Corporate Social Responsibility (कारपोरेट सोशल रिस्पॉसबिल्टी) के माध्यम से प्राप्त धनराशि को उक्त खाते के कारपस में जमा कराकर अर्जित ब्याज को खिलाडियों के कल्याणार्थ व्यय की जायेगी। कोष में दानकर्ता से प्राप्त होने वाली धनराशि पर आयकर अधिनियम 12 ए के 80 जी के अन्तर्गत छूट दी जायेगी।

(3) एकलव्य क्रीड़ा कोष के अन्तर्गत संचालित खाते से नियम-6 में गठित प्रबन्ध समिति द्वारा चयनित खिलाड़ियों को NEFT/ECS/DBT एवं अन्य डिजिटल प्लेटफार्म के माध्यम से धनराशि उपलब्ध करायी जायेगी।

(4) एकलव्य क्रीड़ा कोष के सम्बन्धित खाते का महालेखाकार, प्रयागराज से सम्परीक्षा करायी जायेगी।

(5) एकलव्य क्रीड़ा कोष में निहित धनराशि का भुगतान केवल भारतीय मुद्रा में ही

किये जायेंगे।

(6) बैंक की कमीशन इत्यादि का सभी भुगतान अध्यक्ष के अनुमोदन से ही होंगे।

(7) वार्षिक वित्तीय विवरण एवं दैनिक लेखा-जेखा निदेशक, खेल द्वारा रखा जायेगा।

(8) आन्तरिक आडिट चार्टड एकाउण्टेन्ट/कॉस्ट एकाउण्टेड से वार्षिक रूप से कराया जायेगा।

वित्तीय सहायता/ फेलोशिप

8- नियम-9 के प्रावधानों के अध्यधीन एकलव्य क्रीड़ा कोष के अन्तर्गत वित्तीय सहायता/फेलोशिप निम्न मामलों में दिये जा सकेंगे :-

1 सम्बद्धता प्राप्त (Affiliated) खेल संघों द्वारा आयोजित अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं/चैम्पियनशिप में प्रतिभाग करने हेतु।

2 मान्यता प्राप्त खेलों के प्रशिक्षण हेतु ख्याति प्राप्त प्रशिक्षक से देश एवं विदेश में प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु ।

3. उपरोक्त दोनों बिन्दुओं के निमित्त यात्रा करने, शुल्क, भोजन एवं आवास (सम्बन्धित संस्था द्वारा निर्धारित शुल्क) पर होने वाला व्यय ।

4. योजना से आच्छादित उदीयमान एवं पदक विजेता खिलाडियों को खेल प्रतियोगिता एवं प्रशिक्षण के दौरान लगने वाली चोट (SPORTS INJURY) के उपचार हेतु ।

5. प्रदेश के ऐसे खिलाड़ी जो खेल प्रशिक्षण हेतु किसी अन्य कार्यक्रम के तहत प्रायोजन से (Sponsorship) लम्बी अवधि से विदेश में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हों तथा अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं (ओलम्पिक गेम्स, कामनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स, एफ्रोएशियन गेम्स, वर्ल्ड चैम्पियनशिप/वर्ल्डकप,सैफ गेम्स) में देश का प्रतिनिधित्व प्रदेश की ओर से कर रहे हों उनके प्रयोजन (Sponsorship) की अवधि समाप्त हो गयी हो तो उनके प्रशिक्षण के लिए 01 से 03 वर्ष तक वास्तविक व्यय के आधारपर धनराशि उपलब्ध करायी जायेगी।

6. प्रदेश में संचालित स्पोर्टस कालेज, आवासीय क्रीड़ा छात्रावास एवं सम्बद्धता प्राप्त (Affiliated) खेल संघों द्वारा आयोजित राष्ट्रीय चैम्पियनशिप में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले एवं उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाडियों (उत्कृष्ट का आशय यह है कि राष्ट्रीय चैम्पियनशिप में चौथे से छठे स्थान तक या भारतीय प्रशिक्षण शिविर में चयनित) को विदेशी प्रशिक्षकों द्वारा उच्च स्तरीय प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु वित्तीय सहायता/ फेलोशिप प्रदान की जायेगी।

7. विश्वस्तरीय प्रशिक्षण, उपकरण तथा आवश्यकतानुसार व्यक्तिगत उपकरण ।

एकलव्य क्रीड़ा कोष अन्तर्गत फेलोशिप प्रदान किये जाने हेतु नियम /

9- एकलव्य क्रीड़ा कोष अन्तर्गत फेलोशिप प्रदान किये जाने हेतु नियम / शर्तें निम्न होंगे :-

1. राज्य सरकार द्वारा आर्थिक सहायता/ फेलोशिप उत्तर प्रदेश के मूल

शर्तें

निवासी एवं उत्तर प्रदेश की ओर से सम्बद्धता प्राप्त (Affiliatec) खेल संघों द्वारा आयोजित होने वाली अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं / राष्ट्रीय चैम्पियनशिप में प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ियों को ही उपलब्ध कराया जायेगा। आर्थिक सहायता के रूप में उपलब्ध करायी जा रही धनराशि तभी तक अनुमन्य करायी जायेगी जब तक वह उ0 प्र0 अथवा भारत का प्रतिनिधित्व करेगा।

2- सम्बद्धता प्राप्त (Affiliated) खेल संघों द्वारा आयोजित राष्ट्रीय चैम्पियनशिप एवं S G F I (School Games Federation of India) में नया रिकार्ड बनाने वाले, प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान एवं उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों (उत्कृष्ट का आशय यह है कि राष्ट्रीय चैम्पियनशिप में चौथे से छठे स्थान तक या भारतीय प्रशिक्षण शिविर में चयनित) को उच्च स्तरीय प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु आर्थिक सहायता/ फेलोशिप प्रदान की जायेगी।

3- सम्बद्धता प्राप्त (Affiliated) खेल संघों द्वारा आयोजित राष्ट्रीय चैम्पियनशिप में पदक विजेता खिलाड़ियों को अपने खेल विधा से सम्बन्धित आवश्यक उपकरण हेतु अधिकतम रू0 5.00 लाख या वास्तविक के आधार पर अनुदान के रूप में धनराशि उपलब्ध करायी जायेगी, जिसके लिए सम्बन्धित खेल संघ की संस्तुति के साथ विभागीय अधिकारियों के माध्यम से निदेशालय को प्रस्ताव प्रस्तुत करना होगा, तदोपरान्त आवश्यक उपकरण से सम्बन्धित धनराशि आर्थिक सहायता के रूप में सम्बन्धित खिलाड़ी को उपलब्ध करायी जायेगी। सम्बन्धित खिलाड़ी द्वारा उपकरण क्रय के उपरान्त सम्बन्धित बिल/ बाउचर्स की प्रति एवं उपयोगिता प्रमाण-पत्र सम्बन्धित खेल संघ से प्रमाणित कराते हुए निदेशालय को एक माह के अन्दर उपलब्ध कराया जायेगा, अन्यथा की स्थिति में देय धनराशि की नियमानुसार वसूली की जायेगी। साथ ही साथ उपलब्ध कराये गये उपकरण की उपयोगिता सिद्ध होने तक आपूर्तित उपकरण खिलाड़ी के पास रहेगा अन्यथा की स्थिति में उपकरण सम्बन्धित जिले के विभागीय खेल अधिकारी को वापस करना होगा।

4- खिलाड़ियों को आर्थिक सहायता/ फेलोशिप प्रदान किये जाने का निर्णय निदेशक खेल द्वारा गठित विशेष समिति द्वारा किया जायेगा।

5- सम्बद्धता प्राप्त (Affiliatec) खेल संघों के संस्तुति पर कि अमुक खिलाड़ी एक्टिव स्पोर्टस पर्सन है, को ही आर्थिक सहायता / फेलोशिप प्रदान की जायेगी।

6- उत्तर प्रदेश के मूल खिलाड़ी जो Sports physiology, sports injuries, sports psychology, sports nutrition, sports biomechanics, sports training methods पर रिसर्च करने वाले व्यक्तियों को फेलोशिप के रूप में रू0 50,000/- प्रतिवर्ष एवं अनुसंगिक व्यय के रूप में रू0 20,000/- प्रतिवर्ष अनुमन्य करायी जायेगी । यह फेलोशिप उपलब्ध कराये जाने की

शर्त यह होगी कि खिलाड़ी को यह प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उनके द्वारा अन्य किसी स्रोत से फेलोशिप प्राप्त नहीं की गयी है तथा उपरोक्त विषयों पर रिसर्च हेतु निर्धारित न्यूनतम समयावधि में ही पूर्ण किया जाना होगा। निर्धारित समय में रिसर्च पूर्ण न होने की दशा में आर्थिक सहायता/ फेलोशिप बन्द कर दी जायेगी ।

7- नेशनल इस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स, (एनआईएस) से डिप्लोमा करने वाले प्रदेशीय खिलाड़ियों को अनुदान के रूप में रू0 25,000/- की धनराशि सम्बन्धित संस्थान द्वारा उपलब्ध कराये गये व्यय विवरण के दृष्टिगत एकमुश्त प्रदान किया जायेगा तथा खिलाड़ी को प्राप्त धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र संस्थान से प्रतिहस्ताक्षरित कराते हुए निदेशालय को उपलब्ध कराया जायेगा।

8- सम्बद्धता प्राप्त (Affiliated) खेल संघों द्वारा 04 वर्षों के अन्तराल में आयोजित एशियन चैम्पियनशिप, एशियन गेम्स, वर्ल्डकप, विश्व चैम्पियनशिप, एशिया कप/ एशियन कप (समस्त सीनियर वर्ग) में पदक विजेता एवं प्रतिभागी खिलाड़ियों को शारीरिक विकास एवं संवर्द्धन एवं डाइट मनी के रूप में रू0 3.00 लाख तथा जूनियर एशियन चैम्पियनशिप, जूनियर विश्व चैम्पियनशिप, जूनियर वर्ल्डकप, यूथ/जूनियर एशिया कप/ एशियन कप, यूथ ओलम्पिक गेम्स, यूथ वर्ल्डकप, जूनियर/यूथ कामनवेल्थ गेम्स, साउथ एशियन गेम्स (सैफ गेम्स) में पदक विजेता एवं प्रतिभागी खिलाड़ियों को रू0 2.00 लाख तथा मिनी/कैडेट,(अण्डर-13) सबजूनियर,(अण्डर-16) यूथ, जूनियर,(अण्डर-19) सीनियर वर्ग की राष्ट्रीय चैम्पियनशिप / नेशनल गेम्स तथा खेलो इण्डिया यूथ गेम्स/ स्कूल नेशनल प्रतियोगिता में पदक विजेता खिलाड़ियों को सीनियर वर्ग हेतु रू0 1.00 लाख, जूनियर एवं यूथ वर्ग हेतु रू0 0.75 लाख तथा मिनी/कैडेट, सब जूनियर (अण्डर-17 आयु वर्ग तक) रू0 0.50 लाख प्रतिवर्ष अनुमन्य करायी जायेगी। यदि कोई खिलाड़ी ओलम्पिक गेम्स हेतु क्वालीफाई/कोचिंग कैम्प हेतु चयनित होता है तो उसे रू0 5.00 लाख की धनराशि आर्थिक सहायता के रूप में प्रतिवर्ष उपलब्ध करायी जायेगी। इस सम्बन्ध में सम्बन्धित खिलाड़ी द्वारा स्व प्रमाणित उपयोगिता प्रमाण-पत्र निदेशालय को एक माह के अन्दर उपलब्ध कराया जायेगा, प्रतिकूल संज्ञान की स्थिति में देय धनराशि नियमानुसार वसूली की जायेगी।

9- खेल प्रतियोगिता एवं प्रशिक्षण के दौरान लगने वाली चोट (SPORTS INJURY) के उपचार हेतु अधिकतम रू0 5.00 लाख या वास्तविक व्यय के आधार पर, जो भी कम हो, की धनराशि नियमानुसार उपलब्ध करायी जायेगी।

10- अन्तर्राष्ट्रीय / राष्ट्रीय प्रशिक्षकों को आधुनिक प्रशिक्षण देने हेतु हाई स्पीड कैमरा, लैपटाप, सी0सी0टी0वी0 कैमरा अन्य आवश्यक उपकरण का व्यय

इस मद से किया जायेगा। उपलब्ध कराये गये उपकरणों की उपयोगिता न रहने की स्थिति में उपकरण को सम्बन्धित प्रशिक्षक द्वारा जनपद के विभागीय खेल अधिकारी को वापस करना होगा।

11- उक्तानुसार प्रस्तावित आर्थिक सहायता/ फेलोशिप उन्हीं खिलाडियों को उपलब्ध करायी जायेगी, जो विभाग किसी अन्य स्रोत से अन्य कोई सहायता प्राप्त न कर रहे हों।

12- उक्तानुसार प्रस्तावित आर्थिक सहायता/ फेलोशिप में पात्र खिलाडियों को एक से अधिक किसी धनराशि पर दावा प्रस्तुत नहीं करेगा। उसको उसके खेल प्रदर्शन के आधार पर अधिकतम लाभ वाली श्रेणी का लाभ दिया जायेगा।

13- आर्थिक सहायता/ फेलोशिप उन्हीं खिलाडियों को प्रदान किया जायेगा जो राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी / विश्व डोपिंग विरोधी संस्था द्वारा प्रतिबन्धित न हो तथा उस किसी भी प्रकार का अपराधिक वाद दर्ज न हो तथा फेलोशिप पाने के उपरान्त यदि राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी / विश्व डोपिंग विरोधी संस्था द्वारा प्रतिबन्धित किया जाता है तो उसको दिये जाने वाला फेलोशिप तत्काल प्रभाव से रोक दी जायेगी।

14- आर्थिक सहायता/ फेलोशिप की धनराशि तीन किश्तों में उपलब्ध करायी जायेगी।

15- उपलब्ध करायी जा रही आर्थिक सहायता/ फेलोशिप वित्तीय प्रबन्धन एवं उपलब्ध धनराशि के दृष्टिगत उपलब्ध कराया जायेगा इसके लिए सम्बन्धित खिलाडी का कोई भी दावा मान्य नहीं होगा और न ही वह मा0 न्यायालय में वाद योजित किये जाने का हकदार होगा।

16- एकलव्य क्रीडा कोष के अन्तर्गत उपरोक्त समस्त सुविधाये अनुमन्य कराये जाने अथवा बन्द किये जाने के सम्बन्ध में निर्णय निदेशक, खेल द्वारा गठित समिति द्वारा की गयी संस्तुति के आधार पर किया जायेगा।

17- एकलव्य क्रीडा कोष खाते से धनराशि स्वीकृत हेतु एक समिति का गठन किया जायेगा। समिति द्वारा उपलब्ध करायी गयी संस्तुति के आधार पर शासन स्तर से स्वीकृति उपरान्त सम्बन्धित खिलाडी को धनराशि उपलब्ध करायी जायेगी।

18- प्रत्येक वित्तीय वर्ष में एकलव्य क्रीडा कोष का लेखा-जोखा मा0 मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में उत्तर प्रदेश खेल विकास व प्रोत्साहन समिति की आहूत बैठक में प्रस्तुत किया जायेगा।

19- इस कोष से पूँजीगत व्यय नहीं किया जायेगा केवल राजस्व व्यय ही अनुमन्य होगा।

एकलव्य क्रीडा कोष की सामान्य मुहर

10- सामान्य मुहर

एकलव्य क्रीडा कोष की ऐसी आकार एवं डिजाइन की एक सामान्य मुहर होगी

जिसे इस निमित्त प्रबन्ध समिति द्वारा नियत किया जाए।

उपविधियाँ

11-उपविधियाँ

एकलव्य क्रीड़ा कोष की प्रबन्ध समिति ऐसी उपविधि बना सकती है, जो एकलव्य क्रीड़ा कोष, नियमावली से असगत न हो। एकलव्य क्रीड़ा कोष की प्रबन्ध समिति किसी भी उपविधि को संशोधित, परिवर्तित या परिवर्तन भी कर सकती है।

नियमावली का संशोधन

12- नियमावली का संशोधन

इस नियमावली का संशोधन राज्य सरकार की लिखित पूर्वानुमति से एकलव्य क्रीड़ा कोष की प्रबन्ध समिति द्वारा बैठक बुलाकर किया जा सकता है और ऐसी बैठक के लिए परिचालित कार्यसूची में प्रस्तावित संशोधन का विनिर्दिष्ट रूप से उल्लेख किया जायेगा।

हम एकलव्य क्रीड़ा कोष के निम्नलिखित सदस्य एततद्वारा प्रमाणित करते है कि यह एकलव्य क्रीड़ा कोष की नियमावली की सत्य प्रतिलिपि है .

सदस्य का नाम और पता	सदस्य के हस्ताक्षर
1-	
2-	
3-	

दिनांक 2021